राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: cce_raj@yahoo.com Ph.: 0141-2706847 (O);

क्रमांकः एफ 7 (4)अकाद/आकाशि/2020/ 902 दिनांक 14 मार्च 2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा केन्द्र सरकार की ओर से संक्रमण से बचाव के लिए जारी की गई एडवाइजरी के उपरांत राज्य सरकार के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं–

1. प्रदेश के सभी महाविद्यालयों (राजकीय एवं निजी) में 30 मार्च 2020 तक शैक्षणिक कार्य स्थगित रहेंगे।
2. इस अवधि में परीक्षा कार्यक्रम संबंधित विश्वविद्यालयों के समय–समय पर जारी निर्देशों के अध्यधीन संचालित होंगे।
3. इस अवधि में महाविद्यालयों में कार्यालय कार्य यथावत संचालित रहेंगे।
4. अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी उपस्थिति, उपस्थिति पंजिका में अंकित करेंगे।
5. AAP कार्यक्रम के अन्तर्गत भ्रमण दलों के कार्यक्रम यथावत रहेंगे।
6. सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि इस समय का सदुपयोग बकाया कार्यों के निस्तारण में तथा आगामी शैक्षणिक सत्र 2020–21 के बेहतर पूर्व नियोजन हेतु करें।
7. सभी संकाय सदस्यों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि समय का उपयोग कक्षाओं के ई–रिकॉडिंग हेतु करें तथा की गई प्रगति से आयुक्तालय को अवगत भी करावें।
8. आयुक्तालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 13 मार्च 2020 के अनुसार COVID-19 वायरस के बारे में जागरूकता फैलाते हुए सुनिश्चित करें कि इस महामारी के सम्बन्ध में गलतफहमी न फैले।

14/3/2020
(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा विभाग,राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7 (4)अकाद/आकाशि/2020/ 902 दिनांक 14 मार्च 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखितको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. वेबसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा को अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (अकादमिक)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Scanned with CamScanner